



2026:AHC:49006-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 37 के तहत

अपील (दोषपूर्ण) संख्या - 6 वर्ष 2026

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....अपीलार्थीगण

बनाम

अजय चौधरी

.....प्रत्यर्थी

अपीलार्थी हेतु अधिवक्ता: राजीव सिंह (स्थायी अधिवक्ता)

प्रत्यर्थी हेतु अधिवक्ता: दीपक सिंह, जितेंद्र सिंह, सुमित गोयल

न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति

माननीय अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति

माननीय क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति

1. यह अपील 24 दिनों के विलंब से बाधित है। परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत विलंब क्षमा करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया गया है। यद्यपि आवेदन का विरोध करते हुए प्रत्युत्तर और उसका प्रत्युत्तर दायर किया गया है, तथापि आवेदन का गंभीर रूप से विरोध नहीं किया गया है और मामले पर गुण-दोष के आधार पर बहस की गई है।
2. विलंब क्षमा करने हेतु आवेदन में दर्शाए गए कारणों को देखते हुए, उन्हें पर्याप्त पाया गया है और इसलिए, आवेदन स्वीकार किया जाता है। अपील दायर करने में हुए विलंब को क्षमा किया जाता है।
3. माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 ('अधिनियम') की धारा 37 के तहत यह अपील वाणिज्यिक न्यायालय संख्या 1, मेरठ द्वारा दिनांक 20.09.2025 को पारित निर्णय के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा मध्यस्थता पंचाट दिनांक 30.11.2019 के विरुद्ध अधिनियम की धारा 34 के तहत अपीलकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. अपीलकर्ताओं द्वारा अनूपशहर शाखा नहर के किमी 38.910 से किमी 43.905 तक के आंतरिक खंड के सुदृढीकरण और उसके पक्के ढांचों की मरम्मत के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। प्रत्यर्थी ने आवश्यक अग्रिम राशि (अर्नेस्ट मनी) के साथ अपनी निविदा प्रस्तुत की। निविदाएं 22.10.2012 को खोली गईं। प्रत्यर्थी का प्रस्ताव सर्वाधिक स्वीकार्य पाया गया और कार्य आवंटित कर दिया गया। अनुबंध के निष्पादन के लिए आवश्यक प्रतिभूति राशि जमा की गई और 86,73,703/- रुपये के मूल्य के लिए अनुबंध निष्पादित किया गया। कार्य प्रारंभ करने की तिथि 15.12.2012 थी जिसे 29.01.2013 तक पूर्ण किया जाना आवश्यक था।
5. पक्षों के बीच कुछ मतभेद और विवाद उत्पन्न हुए और मुख्य अभियंता (गंगा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, मेरठ ने विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया। मध्यस्थ ने 30.11.2019 को पंचाट पारित किया। मध्यस्थ ने किए गए कार्य के भुगतान, मध्यस्थता की लागत, पंचाट-पूर्व और पंचाट-पश्चात ब्याज के रूप में 75,25,400/- रुपये की राशि प्रदान की।
6. इससे व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन दायर किया। वाणिज्यिक न्यायालय ने चार बिंदु (इश्यूज) तय किए और पक्षों को सुनने के बाद, उक्त बिंदुओं पर अपने निष्कर्ष दर्ज किए और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि न केवल एकमात्र मध्यस्थ का तर्क तार्किक है, बल्कि मध्यस्थ द्वारा सभी सामग्री और साक्ष्यों पर ध्यान दिया गया है। न्यायसंगत निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए ठोस आधार और पर्याप्त कारण बताए गए थे और रिकॉर्ड के प्रत्यक्ष तौर पर कानून की कोई त्रुटि या कदाचार स्पष्ट नहीं था। पंचाट सुदृढ कारणों से समर्थित था और साक्ष्यों के उचित मूल्यांकन पर आधारित था, तथा यह किसी भी सार्वजनिक नीति या अनुबंध की शर्तों के विरुद्ध नहीं था। फलस्वरूप, अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन खारिज कर दिया गया।
7. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने पुरजोर दलीलें दीं कि मध्यस्थ और वाणिज्यिक न्यायालय ने क्रमशः पंचाट पारित करने और आवेदन खारिज करने में त्रुटि की है। यह दलील दी गई कि इस महत्वपूर्ण पहलू पर विचार नहीं किया गया कि कनिष्ठ अभियंता द्वारा माप पुस्तिका (मेज़रमेंट बुक) में द्वितीय चालू बिल तैयार किया गया था और संबंधित सहायक अभियंता द्वारा उसे अनुमोदित नहीं किया गया था, इसलिए दावेदार को भुगतान करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था, जैसा कि एकमात्र मध्यस्थ द्वारा निर्देशित किया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. आगे यह दलील दी गई कि दावा प्रथम दृष्टया परिसीमा द्वारा वर्जित था, जिस पहलू पर मध्यस्थ और वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा उचित रूप से विचार नहीं किया गया है और उस आधार पर भी, पंचाट प्रत्यक्ष अवैधता से ग्रसित था और निरस्त किए जाने योग्य था।
9. प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने पंचाट के साथ-साथ वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया। यह तर्क दिया गया कि मध्यस्थ और वाणिज्यिक न्यायालय दोनों ने मामले में शामिल तथ्यात्मक और कानूनी पहलुओं पर विस्तृत रूप से विचार किया है और उपलब्ध सामग्री के आधार पर निष्कर्ष निकाला है। बिल के अक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार किए जाने के आरोप न तो मध्यस्थ के समक्ष उठाए गए थे और न ही अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन में, और अब जो दलील दी जा रही है वह निराधार होने के साथ-साथ सारहीन भी है। वाणिज्यिक न्यायालय ने परिसीमा के पहलू पर विस्तार से विचार किया है और इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि प्रत्यर्थी (सरकार) ने स्पष्ट रूप से अपने दायित्व को स्वीकार किया है और उक्त स्वीकृति के आधार पर, दावा समय के भीतर था और इस प्रकार, अपील खारिज होने योग्य है।
10. हमने पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।
11. वाणिज्यिक न्यायालय ने अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन में उठाए गए तर्कों के आधार पर विचारार्थ निम्नलिखित बिंदु (इश्यूज) तय किए:-
 1. "1. क्या अजय चौधरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश) के माध्यम से अधीक्षण अभियंता, प्रथम मंडल सिंचाई कार्य, मेरठ (उत्तर प्रदेश) एवं एक अन्य के बीच अनुबंध समझौता संख्या 25/S.E. 1/2012-13 में विद्वान एकमात्र मध्यस्थ द्वारा पारित मध्यस्थता पंचाट दिनांक 30-11-2019, आवेदकों द्वारा मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत अपने आवेदन में बताए गए आधारों पर निरस्त किए जाने योग्य है?
 2. क्या विपक्षी का दावा समय-बाधित है?
 3. क्या विद्वान मध्यस्थ ने निर्धारित अवधि के भीतर पंचाट पारित नहीं किया है?

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. क्या ब्याज से संबंधित दावा संख्या 5 के संबंध में विद्वान मध्यस्थ द्वारा निकाला गया निष्कर्ष गलत, अत्यधिक और कानून के सिद्धांतों के विपरीत है?"

12.इन चारों बिंदुओं पर अलग-अलग विचार किया गया और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के संदर्भ में पंचाट को बरकरार रखते हुए सुस्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं। पंचाट में कथित कमी से संबंधित विभिन्न दलीलों पर विस्तृत रूप से विचार किया गया।

13.सी. पी. सी. की धारा 80 के तहत नोटिस और अधिशासी अभियंता द्वारा दिए गए उसके बिंदुवार उत्तर दिनांक 27.01.2017, जिसे मध्यस्थता कार्यवाही के रिकॉर्ड पर रखा गया था, पर संज्ञान लिया गया, जो अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार पढ़ा जाता है:-

क्रम संख्या	सी.पी.सी. की धारा 80 के तहत नोटिस के प्रासंगिक पैराग्राफ	प्रासंगिक पैराग्राफ अधिशासी अभियंता का उत्तर
1.	"3. यह कि उक्त अनुबन्धके अनुरूप मेरे व्यवहारी द्वारा विभागीय निर्देशानुसार अनुबन्धित कार्यदिनांक 15.12.2012 को प्रारम्भकिया जाकर दिनांक 24.01.2013 तक पूर्ण कर लिया गया था।"	" <u>बिन्दुसंख्या-3</u> ठेकेदार द्वारा अनुबन्धित कार्य दिनांक 24-01-2013 तक पूर्ण कर दिया गया है।"
2.	"4. यह कि उक्त अनुबन्धित कार्य की मापें माप-पुस्तिका में अंकित है। उक्त कार्य विभागीय संतुष्टि के अनुसार पूर्ण किये गये हैं तथा विभाग द्वारा उक्त अनुबन्धित कार्य के अधीन रनिंग बीजक अंकन 15,00,000/- रुपये का भुगतान तत्समय ही कर दिया गया था, परन्तु उक्त कार्य का अवशेष भुगतान विभाग की तरफ लम्बित है, जिसका भुगतान किये जाने हेतु मेरा व्यवहारी	" <u>बिन्दुसंख्या-4</u> उक्त अनुबन्ध के अन्तर्गत ठेकेदार को धन राशि रुपये 15,00,000.00 का भुगतान वित्तीय वर्ष 2012-13 में किया जा चुका है। शेष भुगतान ठेकेदार को अभी किया जाना है। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त कार्य 13 वें वित्तआयोग द्वारा संस्तुत

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



	लगातार आपसे अनुरोध करता रहा है, परन्तु अभी तक विभाग द्वारा पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है तथा अधिशासी अभियन्ता द्वारा निरन्तर यही बताया जाता रहा है कि उक्त कार्य के मद में धन राशि शासन से उपलब्ध होने के कारण भुगतान किये जाने में देरी हो रही है और अधिशासी अभियन्ता के स्तर से भुगतान के सम्बन्ध में निरन्तर आश्वासन प्राप्त होता रहा है, परन्तु लम्बित धन राशि का भुगतान नहीं किया गया है।"	अनुदान के क्रियान्वयन लेखा शार्पक 2700 के अन्तर्गत कराया गया था। चूंकि उक्त परियोजना रुपये 902.72 लाख की स्वीकृत हुई थी जिसके सापेक्ष खण्ड को वित्तीय वर्ष 2012-13 में मात्र रुपये 325.00 लाख आवंटन हुआ था। आवंटित धन राशि के अनुरूप ही इनके साथ-साथ परियोजना में गठित अन्य ठेकेदारों के द्वारा कराये गये कार्य का भी आंशिक भुगतान ही किया गया है।
3.	"9. यह कि उपरोक्तानुसार आपको इस नोटिस द्वारा अवगत कराया जाता है कि उपरोक्त वर्णित अनुबन्ध के अधीन निष्पादित अनुबन्धित कार्य हेतु देय धन राशि अंकन 46,00,000/- रुपये का भुगतान नोटिस प्राप्ति के एक माह के अन्दर कर दें.....।"	"बिन्दुसंख्या-6 उक्त परियोजना में वर्तमान में धन उपलब्ध नहीं है। धन की माँग हेतु कार्य योजना अनुमोदित हो चुकी है। धनावंटन प्राप्त होने पर ठेकेदार का भुगतान कर दिया जायेगा। बिन्दुसंख्या-7, 8 व 9 बिन्दुसंख्या 6 के अनुसार।"

14. उपरोक्त उत्तर के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अधिशासी अभियन्ता ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि कार्य स्वीकृत समय अवधि के भीतर पूरा किया गया था। बिंदु संख्या 4 के उत्तर के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यद्यपि यह उत्तर दिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में 15,00,000/- रुपये की राशि का भुगतान किया गया था, शेष राशि के भुगतान के दायित्व को स्वीकार किया गया है और बिंदु संख्या 9 के उत्तर में यह कहा गया है कि वर्तमान में प्रश्नगत

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



परियोजना के तहत कोई धनराशि उपलब्ध नहीं है और जैसे ही धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी, शेष राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।

15. यह तथ्य कि कार्य समय पर पूरा हो गया था और केवल योजना के तहत धन की कमी के कारण ठेकेदार को राशि का भुगतान नहीं किया जा सका, तथा शेष राशि के भुगतान के दायित्व को स्वीकार करना संपूर्ण विवाद को समाप्त कर देता है, क्योंकि माप पुस्तिका पर कनिष्ठ अभियंता के हस्ताक्षर होने के संबंध में पहली बार उठाई गई दलील अपना महत्व खो देती है जब अधिशासी अभियंता ने प्रश्नगत दायित्व को स्वीकार कर लिया है।
16. इसके अतिरिक्त, यह तथ्य कि सी. पी. सी. की धारा 80 के तहत नोटिस के उत्तर के माध्यम से, अधिशासी अभियंता द्वारा दायित्व को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था और उक्त पावती के तीन वर्षों के भीतर, अर्थात् वर्ष 2018 में, मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए नोटिस जारी किया गया था, जो अधिनियम की धारा 21 के तहत मध्यस्थता कार्यवाही का प्रारंभ माना जाता है, दावे को सही रूप से परिसीमा के भीतर माना गया है, अतः वर्तमान अपील में परिसीमा के संबंध में उठाई गई दलील भी स्पष्ट रूप से सारहीन है।
17. यह स्थापित कानून है कि पंचाट की वैधता पर प्रश्न उठाने के लिए, अपीलकर्ताओं को अधिनियम की धारा 34 के मापदंडों के भीतर मामला बनाना आवश्यक है, जिसमें अपीलकर्ता पूरी तरह विफल रहे हैं। वाणिज्यिक न्यायालय ने पंचाट के प्रत्येक पहलू और इसके द्वारा तय किए गए चार बिंदुओं के तहत उठाए गए तर्कों पर सूक्ष्मता और विस्तृत रूप से विचार किया है और एक न्यायसंगत निष्कर्ष पर पहुँचा है। अपीलकर्ता दर्ज किए गए किसी भी निष्कर्ष में नाममात्र की भी विपरीतता बताने में विफल रहे हैं।
18. फलस्वरूप, हमें आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता। अपील सारहीन है, अतः इसे **खारिज** किया जाता है।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति)

मार्च 10, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।